(ग) और (घ). सरकार वर्तमान स्थिति में कोई हेर फेर नहीं करना चाहती।

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम

7641. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री राम चरण :
श्री शिव पूजन शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 की क्रियान्विति में राज्यवार अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम लागू होने के बाद से प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय विभागों में जो व्यक्ति नियुक्त हुए उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उक्त अधिनियम की क्रियान्विति में प्रगति संतोषजनक नहीं है तो किन राज्यों में संतोषजनक नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह अधिनियम, जम्मू और काश्मीर तथा गोवा को छोड़ कर सभी राज्यों में लागू है। इन राज्यों में भी यह अधिनियम लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के नियोजक काफी हद तक, अधिनियम को आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(ख) रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम के अधीन, रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे उम्मीदवारों को, नियुक्त करने के लिए, नियोजकों पर कोई संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

Code of Conduct for Legislators

7642. **Shri Yajna Datt Sharma:**
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3103 on the 21st June, 1967 and state:

(a) whether Government have since finalised the Code of Conduct for Legislators as per the recommendations of the Santhanam Committee;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) when it is likely to be given effect to?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Strike by Port and Dock Workers, Bombay

7643. **Shri George Fernandes:**
Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of illegal strikes resorted to by the Port and Dock workers of Bombay during the past three years;

(b) in how many of these strikes, settlements were brought about by the intervention of the labour machinery of the Central Government;

(c) the number of strikes in which the Union Ministers intervened to bring about settlements; and

(d) the names of the Union Ministers who intervened?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) The number of illegal strikes from 1-4-1964 to 25th July, 1967 is 46.

(b) .. 7

(c) .. 4

(d) 1. Shri C. Subramanian,

2. Shri Raj Bahadur

3. Shri Ashok Mehta

4. Shri V. K. R. V. Rao.

मैट्रिक पास मेजिस्ट्रेट

7644. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकांश मेजिस्ट्रेट केवल मैट्रिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उन्हें इन पदों पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में, दिल्ली में प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेटों के 48 पदों में से केवल 4 पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त थे जो मैट्रिक थे । तीन व्यक्ति दिल्ली-हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा में नियुक्त किए गए । इनका चयन एक समिति द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य ने की । इस समिति द्वारा चौथे व्यक्ति को भी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अन्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए अनुमोदित किया गया था ।

Temporary and Quasi-Permanent Employees of the Central Government

7645. **Shri Atam Das:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of temporary and quasi-permanent employees of the Central Government;

(b) the total number of such employees who have been confirmed during the last three years and the number who are going to be made permanent during the current year; and

(c) the number of years of service which is required to become quasi-permanent and permanent and the criteria followed in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) a Government servant shall be deemed to be in quasi-permanent service—

(i) if he has been in continuous temporary service for more than three years; and

(ii) if the appointing authority, on being satisfied as to his suitability for employment in quasi-permanent capacity on